

FORN NO 111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

गणपत राम वर्गै बनाम मोतीराम वर्गै

कि-रम मुकदमा- इजराय

मुकदमा नम्बर- 1/2023

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

जज्वर व तारीख  
अहकाम जो हुकम  
दुरुम की जायजा में  
जारी हुये

05.01.2023

वकील डिक्रीदार श्री भेंवर सिंह एडो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 08.02.2023 को पेश हो।

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

02.09.2024

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में कार्यालय हाजा के श्री सॉवरमल यादव भू अभिलेख निरीक्षक ने अवगत कराया कि ऑनलाईन मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तरण संख्या 811 दिनांक 08.06.2023 एवं 817 दिनांक 28.07.23 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आन लोदय  
मिनापुत्रिआ  
बाबाग आदेश  
की पाछना  
ना.सं. 811  
8.6.23  
एवं 817  
28.7.23  
की वकील  
अनिल कुमार



( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)